# संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
# (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
# आईपीएचडब्ल्यू

सं. 27(35)/2013 -आईपीएचडब्ल्यू नई दिल्ली, 03-08-2015

## <u>अधिसूचना</u>

**विषय : संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स): कार्यक्षेत्र का विस्तार और समयावधि बढ़ाना तथा अन्य संशोधन- संशोधित अधिसूचना**

**संदर्भ:**

1. दिनांक 27-07-2012 की राजपत्र अधिसूचना सं.175 के अंतर्गत अधिसूचित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) ।

2. दिनांक 07-10-2012 की अधिसूचना सं.27(3)/2012-आईपीएचडब्ल्यू के अंतर्गत संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के लिए दिशानिर्देश और उनमें दिनांक 23-05- 2013 एवं 23-12-2013 को किए गए संशोधन ।

3. दिनांक 14-01-2013 की अधिसूचना सं 36(3)/2012-आईपीएचडब्ल्यू के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में एम-सिप्स के अंतर्गत अधिसूचित ब्राउनफील्ड कलस्टरों के लिए दिशानिर्देश।

4. दिनांक 07-05-2014 की अधिसूचना सं 36(14)/2014- आईपीएचडब्ल्यू के जरिए "एम-सिप्स के प्रयोजन से अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण कलस्टरों" के रूप में ईएसडीएम के लिए एम-सिप्स योजना के अंतर्गत ब्राउनफील्ड कलस्टरों को अधिसूचित करने के लिए दिशानिर्देशों का पुनर्निर्धारण।

उपर्युक्त संदर्भ सं. (1) में उल्लिखित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) को 27 जुलाई, 2012 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया । उपर्युक्त संदर्भ सं. (2) में

उल्लिखित कार्यान्वयन दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए गए हैं । ऐसे क्षेत्रों/कलस्टरों जिनके लिए एम-सिप्स के अंतर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध हैं, के लिए आवश्यक दिशानिर्देश उपर्युक्त संदर्भ सं. (3) और (4) के जरिए जारी किए गए हैं।

2. योजना के कार्यान्वियन के दौरान विभिन्न उद्योग संघों, संभावित आवेदकों और अन्य पणधारकों से योजना में निवेश के संदर्भ में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों की जांच की गई है और सभी पणधारकों के साथ चर्चा की गई है। इसके आधार पर संशोधित सिप्स नीति में संशोधनों का प्रस्ताव है। अन्य सभी प्रावधान यथावत रहेंगे।

3. अतिरिक्त वर्टिकल के लिए एम-सिप्स लाभों का विस्तार:

एम-सिप्स लाभ उपर्युक्त संदर्भ सं. (1) में उल्लिखित वर्टिकलों के लिए उपलब्ध हैं। उन वर्टिकलों की सूची का विस्तार करने का विचार है जिनके लिए एम-सिप्स लाभ उपलब्ध हैं। इस अधिसूचना के अनुलग्नक (1) अतिरिक्त सूची उपलब्ध है।

4. प्रक्रिया का सरलीकरण

4.1 योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से उपलब्ध होगा, बशर्ते कि इस प्रकार परिकलित अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रत्याशित आधार (अर्थात अधिसूचना की तारीख से) पर होने चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, 10 वर्ष की अवधि, जिसके लिए प्रोत्साहन का दावा करने हेतु कोई आवेदक पात्र है, की गणना भी आवेदन की तारीख से की जाएगी। परंतु, किसी यूनिट को प्रोत्साहन केवल तभी दिए जाएंगे जब वह योजना के अंतर्गत आवश्यक थ्रेशहोल्ड निवेश का लक्ष्य प्राप्त कर लेती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना अनुमोदित कर दी जाती है।

4.2 उद्योगों से प्राप्त अन्य इनपुट के आधार पर विभिन्न उद्योग यूनिटों के लिए संशोधित थ्रेशहोल्ड सीमाओं का निर्धारण करने का प्रस्ताव है, जिनके लिए यूनिट इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र होगी। सभी प्रकार की परियोजनाओं के लिए संशोधित थ्रेशहोल्ड इस अधिसूचना के अनुलग्नक 2 में दी गई हैं।

4.3 एनॉलॉग/मिक्स्ड सिग्नल सेमीकंडक्टर चिप, पावर सेमीकंडक्टर, ओएलईडी, एलसीडी (एलसीडी फेब्रिकेशन और ग्लास सबस्ट्रेट) के फेब्रिकेशन और एटीएमपी, चिप संघटकों का

फेब्रिकेशन, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर, एसपीवी (पॉलीसिलिकॉन, इंगॉट और/अथवा वेफर, सेल), एलईडी और पीसीबी के विनिर्माण, नैनो-इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और एलसीएम के लिए उत्पादन कारोबर (एक्स फैक्टरी) के 10% की दर से उत्पादन आर्थिक सहायता (सब्सिडी) प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसे प्रचालनात्मक प्रोत्साहन के रूप में शुरू करने का इरादा है। सेमीकंडक्टर वेफरिंग, लॉजिक माइक्रोप्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर (डीएसपी) और एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटिड सर्किट (एएसआईसीएम), मेमोरी, एलसीडी फेब्रीकेशन के लिए "केंद्रीय करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति" के मौजूदा प्रावधान को "उत्पादन टर्नओवर (एक्स फैक्ट्री) के @ 10 % उत्पादन सब्सिडी के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

4.4 एम-सिप्स के लिए प्रोत्साहनों का संवितरण निवेश की थ्रेशहोल्ड सीमा का लक्ष्य प्राप्त करने के तुरंत बाद किया जाएगा। तत्पश्चात संवितरण तिमाही आधार पर किया जाएगा।

4.5 यह योजना केंद्र/राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी औद्योगिकी क्षेत्र में अवस्थित मूल्यांकन समिति द्वारा यथामूल्यांकित किसी व्यवहार्य यूनिट के लिए उपलब्ध होगी। उन क्षेत्रों, जो प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे, को अधिसूचित करने की पद्धति को एतदद्वारा छोड़ दिया गया है। अलग तकनीकी मूलयांकन समितियां गठित करने की भी पद्धति छोड़ दी जाएगी।

5. आवेदनों के लिए समयावधि बढ़ाना

5.1 संशोधित योजना के अंतर्गत आवेदन करने की समयावधि को जुलाई, 2015 में योजना की चालू अवधि के समाप्त होने के बाद 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है।

6. एम-सिप्स नीति में संशोधनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिशानिर्देशों का एक अलग सेट जारी किया जाए।

अजय कुमार

(डॉ. अजय कुमार)

अपर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 24360160

**अनुलग्नक 1**

## ईएसडीएम वर्टिकल/परियोजनाओं की अतिरिक्त सूची जिनके लिए एम-सिप्स के अंतर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :-

| (क) | इलेक्ट्रॉनिकी उत्पाद (अनुलग्नक 2 का क्र.सं 1) : |
|---|---|
| 1 | दूरसंचार उत्पाद : ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल, हेडेन्ड्स* |
| 2 | आईटी हार्डवेयर उत्पाद : ऑटोमेटिक टेलर मशीन (एटीमए), आदि * |
| 3 | उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी : ऑडियो वीडियो उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां और दीवार घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, निजी देखरेख वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आदि* |
| 4 | ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिकी : ब्रशयुक्त डीसी मोटर्स *, आदि |
| 5 | बॉयो-मीट्रीक और पहचान उपकरण/आरएफआईडी : स्मार्ट कार्ड विनिर्माण और वैयक्तिकरण* |
| 6 | उपभोक्ता उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, फुली ऑटोमेटिक वांशिग मशीन, माइक्रोवेव ओवन आदि |
| 7 | पीसीबी डिजाइन सहित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद डिजाइन |
| 8 | मशीन से मशीन (एम2एम) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उत्पाद |
| 9 | होम फ्यूल सेल |
| 10 | बहुत कार्यात्मक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
| 11 | सेमीकंडक्टर उपकरण जैसे ऑटोमेटिक टेस्ट हैंडलर, पिक एंड प्लेस मशीन, टेस्ट हैड मनीपुलेटर और उनकी सहायक उपकरण जैसे टेस्ट सॉकिट, प्रोब कार्ड, एटीई लोड बोर्ड, कंवरजन किट, डॉकिंग मैकेनिज्म |
| 12 | इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण – जिसमें सीसीटीवी/निगरानी उपस्कर, सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल, इन्ट्रूडर अलार्म आदि शामिल हैं। |

| (ख) | मध्यस्थ्य (अनुलग्नक 2 का क्र.सं. 2) |
|---|---|
| 1 | इलेक्ट्रो-प्लेटिंग, स्माल प्रिसिज़न प्लास्टिक और मैटल पार्ट्स, टूल, मोल्डस और डाई |
| 2 | लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल (एलसीएम) |
| 3 | ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डॉयोड (ओएलईडी) |
| 4 | स्मार्ट कार्डों के लिए चिप माड्यूल |
| 5. | एनॉलॉग/मिक्स्ड सिग्नल सेमीकंडक्टर चिप्स |
| ग | इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए पूंजीगत उपस्कर |
| घ | इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए विशिष्ट कच्चा माल |
| ड. | इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का पुनर्विर्माण |

*** ये वर्टिकल दिनांक 27-07-2012 की अधिसूचना में पहले से मौजूद हैं और अतिरिक्त उत्पादों को शामिल करने के लिए इन्हें एम्प्लीफाई किया गया है।**

**अनुलग्नक 2**

## संशोधित निवेश थ्रेशहोल्ड और वित्तीय प्रोत्साहन

| क्र.सं. | प्रकार | निवेश थ्रेशहोल्ड (करोड़ रुपए में) | | | वित्तीय प्रोत्साहन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | फैब | असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) | विनिर्माण | सेज | नॉन-सेज |
| 1 | इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद | - | - | 10 | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति |
| 2 | माध्यस्थ | | | | | |
| 2.1 | नैनो इलेक्ट्रॉनिक संघटक | - | - | 200 | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| 2.2 | सेमीकंडक्टर वेफरिंग | - | - | 1000 | कैपेक्स का 20% + उत्पादन | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| 2.3 | सेमीकंडक्टर चिप : | | | | | |
| क) | लॉजिक — माइक्रोप्रोसर, माइक्रोकंट्रोलर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर (डीएसपी) और एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटिड सर्किट (एएसआईसीएस) | 2000 | 100 | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| ख) | एनालॉग / मिक्स्ड सिगनल | 1000 | 100 | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग) | मेमोरी | 5000 | 200 | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| 2.4 | चिप संघटक, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर और पावर सेमीकंडक्टर : | | | | | |
| क) | चिप संघटक | 200 | लागू नहीं | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| | | लागू नहीं | 10 | | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति |
| ख) | डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर जैसे ट्रॉंजिस्टर, डायोड आदि | 25 | लागू नहीं | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | उत्पादन सब्सिडी का 10% | उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| | | लागू नहीं | 10 | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| ग) | पावर सेमीकंडक्टर (डिफ्यूजन सहित) जैसे एफईटी, एमओएसएफईटी, एससीआर, जीटीडी, आईजीबीटी आदि | 100 | 50 | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| 2.5 | सोलर फोटोवोल्टेइक (एसपीवी): | | | | | |
| i) | पॉलिसिलिकॉन | 500 | लागू नहीं | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ii) | इंगोट्स और / अथवा वेफर | 150 | लागू नहीं | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| iii) | सेल | 75 | लागू नहीं | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| iv) | मॉड्यूल / पैनल | लागू नहीं | लागू नहीं | 10 | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति |
| 2.6 | लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) | 150 | लागू नहीं | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | उत्पादनसब्सिडी का 10% | (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| | | | 10 | | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| 2.7 | ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड (ओएलईडी) | 600 | 100 | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| 2.8 | स्मार्ट कार्डों के लिए चिप मॉड्यूल | लागू नहीं | 10 | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 25% + उत्पाद शुल्क/पूंजीगत उपस्करों पर सीवीडी की प्रतिपूर्ति |
| 2.9 | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेयर (एलसीडी): | | | | | |
| क) | एलसीडी फेब्रीकेशन | 1500 | 250 | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| ख) | एलसीडी ग्लास सबस्ट्रेट | 250 | 100 | लागू नहीं | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| ग) | लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल (एलसीएम) | लागू नहीं | लागू नहीं | 50 | कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| 2.9 | निष्क्रिय संघटक, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कंपोनेंट, मैकेनिकल कलपुर्जे और खपत योग्य सामग्री और सहायक उपकरण : | | | | | |
| क) | निष्क्रिय संघटक जैसे प्रतिरोधक, कैपेसिटर, इंडप्टर, थर्मिस्टर आदि | लागू नहीं | लागू नहीं | 5 | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ख) | इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कंपोनेंट और मैकेनिकल कलपुर्जे जैसे ट्रांसफार्मर, क्वाइल, कनेक्टर, स्विच, फैराइट, माइक्रो मोटर, स्टेपर मोटर, फिल्म, स्माल प्रिसिजन प्लास्टिक और मैटल पार्ट, टूल, मोल्ड और डाई आदि | लागू नहीं | लागू नहीं | 5 | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति |
| ग) | प्रिंटिट सर्किट बोर्ड | लागू नहीं | लागू नहीं | 5 | कैपेक्स का 20%+ उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10% |
| घ) | खपत योग्य सामग्री और सहायक उपकरण जैसे मोबाइल फोन और आईटी उपकरण – बैटरी, चार्जर आदि, फ्वाइल, टेप, एपॉक्सी कैबिनेट आदि | लागू नहीं | लागू नहीं | 1 | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सेवाएं (ईएमएस) | लागू नहीं | लागू नहीं | 10 | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति |
| 4. | इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए पूंजीगत उपस्कर | लागू नहीं | लागू नहीं | 10 | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति |
| 5. | विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कच्चा माल | लागू नहीं | लागू नहीं | 5 | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति |
| 6. | बॉयोमीट्रिक और पहचान संबंधी उत्पाद/आरएफआईडी/ स्मार्ट कार्ड विनिर्माण और वैयक्तिकरण | लागू नहीं | लागू नहीं | 5 | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति |
| 7. | इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का पुनर्विर्माण (नोट-1 देखें) | लागू नहीं | लागू नहीं | 5 | कैपेक्स का 20% | कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/ सीवीडी की प्रतिपूर्ति |

<u>नोट 1 :</u> प्रोत्साहन विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) और किसी अन्य संगत मौजूदा नीति के अनुपालन के अध्यधीन और केवल तभी प्रदान किए जाएंगे जब प्रतिपूर्ति प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का पुन: निर्यात किया जाएगा ।